स्थानों का एक साथ विकास अथवा सर्वेक्षण तक कर सकना सम्भव नहीं है। पर्यटक स्थलों के विकास की योजनाएं पर्यटकों के लिए उनके सीधे आकर्षण के आधार पर तथा राज्य सरकारों के परामर्श से चुनी जाती हैं।

Vaccine for Cattle

1625. Shri Nathu Ram Ahirwar:
Shri G. C. Dixit:
Shri Y. S. Kushwah:
Shri J. Sundar Lal:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are taking any steps to obtain additonal machines for the production of FDRD Vaccines for protecting cattle against rinderpest; and

(b) if so, the present position in this regard and where these machines are likely to be installed?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes.

(b) To meet the demand from the State Governments, five new Freeze Drying Machines are being procured. Foreign exchange to the extent of Rs. 4.40 lakhs (including spare parts for existing units) has been released and the concerned State Governments informed.

The machines when imported will be installed at the following vaccine production Centres:—

(i) Ranipet (Madras), (ii) Lucknow (U.P.), (iii) Mhow (M. P.), (iv) Hyderabad (A.P.), and (v) Bhubaneshwar (Orissa).

विमान चालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये विमान चलाने के घंटों की शर्त

1626. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त विमान चालकों के लिये "विमान चलाने के कुल कितने घंटों" के अनुभव की आवश्यकता है ताकि उन्हें पूर्ण चालक के रूप में मान्यता दी जा सके ;

(ख) विमान चलाने के इन घंटों का अनुभव प्राप्त करने के लिये कितने वर्ष अपेक्षित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विमान चालकों को दी जाने वाली अनुदान की राशि को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी कमी की जायेगी तथा उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). व्यावसायिक विमान चालक लाइसेंसों के तीन वर्ग हैं; अर्थात् वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस, अवर वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस, तथा हवाई कम्पनी परिवहन विमान चालक लाइसेंस। ये लाइसेंस जारी किये जाने के लिए आवश्यक उड़ान विषयक अनुभव तथा अन्य शर्तें 1937 के वायुयान नियमों की अनुसूची II के खण्ड "डी", "ई" और "एफ" में दी गयी हैं। उच्चतम वर्ग, अर्थात् 'हवाई कम्पनी परिवहन विमान चालक लाइसेंस' के लिये आवेदक को लाइसेंस के आवेदन-पत्र की तारीख से ठीक पहले पांच वर्षों के भीतर एक विमान चालक के रूप में उड़ान-काल के कम से कम 1500 घंटे सन्तोषप्रद रूप से पूरे कर चुके होने का प्रमाण देना पड़ता है।